न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 64/2019

GCMS No. : 2019/00058

वादीगणः–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. गोपालसिंह पुत्र जयसिंह जाति–राजपुत निवासी–लौटोती तहसील–जैतारण जिला–पाली		1. भैरूसिंह पुत्र फतेहसिंह 2. हनुमानसिंह पुत्र फतेहसिंह जातियान–राजपुत निवासी–लौटोती तहसील–जैतारण जिला–पाली। 3. तहसीलदार अधिकारी, तहसील–जैतारण, जिला– पाली, राज0। 4. उपपंजियन अधिकारी, तहसील–जैतारण जिला– पाली राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1ए व 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू :– 06/05/2019

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 03/09/2020**

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1ए व 151 सीपीसी विरूद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अनवान का वाद दोनो वादीगण 1– हनुमानसिंह व 2– गोपालसिंह ने संयुक्त रूप से बन्टवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतू पेश किया। उपरोक्त वाद मे प्राथमिक डिकी बन्टवाडा की पारित की जा चुकी तथा प्राथमिक डिकी की पालनार्थ प्रस्तावित बन्टवाडा की रिपोर्ट भी तहसीलदार जी, जैतारण द्वारा पेश की जा चुकी है तथा प्रस्तावित बन्टवाडा के आधार से वाद मे केवल मात्र अंतिम डिकी ही पारित करना शेष था। वादी संख्या एक हनुमानसिंह व प्रतिवादी संख्या एक भैरूसिंह दोनो सगे भाई है, दोनो ने आपस मे दुर्भिसंधी करके वादी संख्या एक हनुमानसिंह ने दिनांक 12/02/2019 को वादी संख्या दो गोपालसिंह की सहमति के बिना ही अपने अधिवक्ता से मिलकर उक्त वाद को विडोल कर लिया है जो विधि विरूद्ध है। विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि जहां पर एक से ज्यादा वादी हो तो एक वादी अन्य वादी की सहमति के बिना वाद विड्रोल नही कर सकता है । इस प्रकरण मे प्रार्थी वादीसंख्या दो गोपालसिंह की वाद विड्रोल करने की सहमति नही है तथा गोपालसिंह की तरफ से उसके अधिवक्ता को भी वाद विड्रोल करने का कानूनन अधीकार नही है इसलिए दिनांक 12/02/2019 को वाद विड्रोल करने का आदेश विधि विरूद्ध है तथा काबिल अपास्त के है। वाद तकासमा बन्टवाडा हेतू है तथा एक वादी वाद विड्रोल करता है तो कानूनन अन्य वादी या अन्य प्रतिवादीगण को आदेश 23 रूल्स 1 ए सीपीसी के वादी से प्रतिवादी व प्रतिवादी से वादी बनाकर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar I
Date: 2020.09.18 16:39:24 I
Reason: SelfAttested

अंतिम निर्णय करना चाहिए। इसलिए इस वाद मे वादी संख्या एक हनुमानसिंह को प्रतिवादी बनाकर यह वाद धारा 151 सीपीसी के तहत रेस्टोर कर वाद मे आगे की कानूनी कार्यवाही की जावें। प्रार्थी गोपालसिंह (वादी संख्या 2) की तरफ से वाद विड्रोल की सहमति नही है अतः न्यायहित मे उक्त वाद रेस्टोर किया जावे। इस प्रकरण मे बन्टवाडा की प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार जी जैतारण द्वारा बन्टवाडा प्रस्तावित कर रिपोर्ट पेश हो चुकी है अर्थात इस वाद मे पक्षकारान् के हक व अधिकार कानूनन तय हो चुके है तो वाद विड्रोल कर दुसरा नया वाद दायर करना कानूनन, पूर्व के वाद की कार्यवाही को अनदेखा कर कानून का Abuse है तथा नया विवाद को शुरू से Contest करना होगा जो न्यायसंगत नही है तथा आदेश 23 रूल्स 1ए सीपीसी के प्रावधानो के विपरीत है। न्यायालय को अकेले वादी को वाद विड्रोल की अनुमति नही देकर वादी संख्या एक हनुमानसिंह को आदेश 23 रूल्स 1ए सीपीसी के तहत प्रतिवादी बनाकर वाद की कार्यवाही को चालु रखना था इसलिए वादी नम्बर 1 हनुमानसिंह को प्रतिवादी बनाकर वाद विडोल आदेश अपास्त फरमावें। प्राथी गोपालसिंह ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 10/04/2019 को सम्पर्क करने पर मालुम पड़ा कि उक्त वाद दिनांक 12/02/2019 को ही वादी संख्या एक हनुमानसिंह अकेला ने ही विड्रोल कर लिया है तब कोर्ट से नकले प्राप्त की जाकर के आज दिनांक 06/05/2019 को अन्दर मियाद एक माह के वाद रेस्टोर हेतू अन्दर मियाद प्रार्थनापत्र पेश है। प्रार्थना पत्र पर माफिक कानूनी के कोर्ट फीस पेश है। अप्रार्थीगण की तलबी व नोटिस साथ है। अन्य उजर बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें। अतः प्रार्थनापत्र धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि वाद रेस्टोर फरमावें। विड्रोल आदेश फरमावें वादी संख्या एक हनुमानसिंह को मूल वाद में आदेश रूल्स 1ए सीपीसी के तहत प्रतिवादी बनाने की आज्ञा प्रदान करावें।

वकील प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि दरख्वास्त का पद संख्या– एक सही होने से स्वीकार है हनुमानसिंह व गोपालसिंह ने मिलकरवाद बंटवाड़ा का पेश किया था। दरख्वास्त का पद संख्या– दो का जवाब है कि उक्त अनवान के दावें में प्रतिवादी/अप्रार्थी को बिना सुने एवं प्रतिवादी के जवाब को नजर अंदाज करके प्राथमिक डिक्री की गई जो गलत है उक्त अनवान के वाद में न तो तनकीयात कायम की गई और न गवाह के बयान हुए उसके उपरान्त भी बंटवाड़े की प्राथमिक डिक्री गलत की गई जो विधि विरूद्ध है और न वादी संख्या– एक गोपालसिंह का कब्जा था। वादी हनुमानसिंह व प्रतिवादी संख्या– एक भैरूसिंह आपस में सगे भाई जरूर है लेकिन आपस में कई वर्षो से बोली चाल नहीं है दोनों में आपस में दुर्भिसंधि करने का लिखा जो सरासर गलत व झूठ है दिनांक 12.02.2019 को वादी हुनमानसिंह स्वंय उपस्थित हुआ और प्रतिवादी संख्या– दो गोपालसिंह के अधिवक्ता ने विड्रोल दरख्वास्त में लिखा कि प्रतिवादी संख्या– दो की तरफ से जरिए वकील वादी विड्रोल कर रहा है न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.02.2019 में हनुमानसिंह व गोपालसिंह के अधिवक्ता महेन्द्र प्रजापत के हस्ताक्षर है इसलिए दावा विड्रोल दोनों वादीगण ने किया अब दावा रेस्टोर करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है गोपालसिंह की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जरिए एडवोकेट के दावा विड्रोल करने का प्रतिवादी भैरूसिंह को ध्यान नहीं था बल्कि भैरूसिंह ने अपने वकील सुगनचन्द सतनामी की जगह चुतराराम भाटी से वकालतनामा पेश करवाया जो दिनांक 12.02.2019 को आदेशिका में रेकर्ड पर लिया गया। दरख्वास्त का पद संख्या– चार गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि वादी संख्या– एक के अधिवक्ता व वादी संख्या– दो स्वयं ने उपस्थित होकर दावा जरिए विड्रोल खारिज करवाया था। वादी की सहमति के बिना एडवोकेट दावा खारिज नहीं करवा सकता है वादीगण ने न्यायालय से पुन

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.09.18 16:39:24
Reason: SelfAttested

पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद विड्रोल किया था इसलिए उक्त विधि सम्मत विड्रोल किया गया था अब बिना आधार के पुनः वाद बरामद नहीं किया जा सकता है। दरख्वास्त का पद संख्या- पांच गलत होने से अस्वीकार है वादी ने धारा- 151 रेडविद ओदश 23 नियम 1ए सीपीसी की दरख्वास्त पेश की जो कानूनन चलने काबिल नहीं होने से खारिज फरमाई जावे वादी चाहता तो नया दावा पेश कर सकता था वादी की दरख्वास्त मयाद बाहर होने से खारिज फरमावें। दरख्वास्त का पद संख्या- 6 गलत होने से अस्वीकार है वादी- संख्या गोपालसिंह के वकील द्वारा विड्रोल किया गया इसलिए वादी की सहमति से ही दावा विड्रोल माना जायेगा। दरख्वास्त का पद संख्या- 7 गलत होने से अस्वीकार प्रतिवादी भैरूसिंह द्वारा पेश किये गये जवाब दावा को नजर अन्दाज करके प्राथमिक डिक्री की गई जो कि विधि विरूद्ध है विवादित उक्त भूमि खसरा नम्बर- 129 का सिविल न्यायालय जैतारण से यथास्थिति का आदेश होते हुए प्राथमिक डिक्री की गई जो कि गलत है तहसीलदार जैतारण ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर पालना रिपोर्ट भी गलत पेश की है क्योंकि विवादित भूमि खसरा नम्बर- 129 परवादी गोपालसिंह का कभी कब्जा नहीं रहा और न वर्तमान में कब्जा है वादी चाहता तो नया दावा पेश करने की अनुमति लेकर उसके आधार पर दावा कर सकता था जो वादी ने नया दावा नहीं करके पुराने दावे का रेस्टोर करने की दरख्वास्त पेश की जो चलने काबिल नहीं है। दरख्वास्त का पद संख्या- 8 गलत होने से अस्वीकार है वादी गोपाल सिंह द्वारा दिनांक 10.04.2019 को अपने अधिवक्ता से मिलने पर दावा विड्रोल करने का ज्ञात होने की बात सरासर गलत व बनावटी है वादी ने उक्त दरख्वास्त तीन माह बाद दरख्वास्त पेश की जो मयाद बहार होने से खारिज फरमाई जावें। दरख्वास्त का पद संख्या- 9 कानूनी है जो घोर अदालत बालाके है। दरख्वास्त का पद संख्या- 10 गलत होने से अस्वीकार है। दरख्वास्त का पद संख्या- 11 गलत होने से अस्वीकार है वादी का वाद रेस्टोर होने योग्य नहीं होने से दरख्वास्त मय हर्जे व खर्चे से खारिज फरमाई जावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया और पत्रावली और उस उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का भलीभाँति अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं इसके भाई द्वारा न्यायालय हाजा में वाद संख्या 12/2015 को दर्ज करवाया, जिसे दिनांक 12.02.2019 को जरिए विड्रोल खारिज किया गया। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद जिसमें प्रार्थी स्वयं वादी था को उसकी सहमति के बिना विड्रोल के आधार पर खारिज कर दिया गया, जिसे वह अपास्त करते हुए उसे आदेश 23 नियम 01 के तहत प्रतिवादी के रूप में संयोजित किए जानें की अनुमति प्रदान की जावें।

हमनें प्रश्नगत वाद की दिनांक 12.02.2019 की आदेशिका का अवलोकन किया जिससे यह अंकन है कि " वकील वादी ने पत्रावली तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करनें से पत्रावली आज पेश हुई। वकील मय वादी संख्या 1 उप. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 22.01.2019 को वकालतनामा वकील चुतराराम भाटी व जगदीश सोलंकी ने पेश किया जो शा.मि. हो। वकील मय वादी संख्या 01 एवं वादी संख्या 2 की ओर से जरिए अधिवक्ता वादी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण अपना वाद लोक अदालत की भावना से आगे नहीं चलाना चाहते हैं, तथा परिस्थितियों बदल जानें पर वादीगण के द्वारा पुनः दावा पेश करनें का अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वादीगण का दावा विड्रोल फरमावें की कृपा करावें। तथा माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण की उक्त प्रार्थना पत्र पर वादीगण के पुनः नया दावा पेश करनें का अधिकार सुरक्षित रखते हुए, वाद जरिए विड्रोल खारिज कर दिया। आदेशिका पर वादी हनुमान सिंह एवं वादी संख्या 2 जो कि हस्त

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verif
Digitally signed by Bhas
Date: 2020.09.18 16:39
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रार्थी है कि ओर से '' जरिए अधिवक्ता विड्रोल'' के अंकन के साथ अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह स्पष्ट कि वादी का वाद खारिज करनें में कहीं भी त्रुटि नहीं हुई है तथा प्रार्थी के अधिवक्ता की प्रार्थना एवं हस्ताक्षर से ही वाद विड्रोल हुआ थाा तथा ऐसा करनें के लिए अधिवक्ता अपनें पक्षकार की ओर से अधिकृत होते हैं, जैसा कि वादी/प्रार्थी द्वारा अपनें अधिवक्ता के पक्ष में जारी वकालतनामा से भी स्पष्ट है। अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का वाद रेस्टोर नहीं किया जा सकता एवं न ही प्रार्थी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किए जानें की आज्ञा दी जा सकती है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः व प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 151, सपठित आदेश 23 नियम 1ए भलीभाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.09.18 16:39:24
Reason: SelfAttested